अनसूची 21प्रपट संख्या 113

सम्पत्ति-अवभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र स0 ......1757......2019। आवेदन नं0 23/12.2019

चूंकि श्री प्राचार्य अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नालखित संपति के सम्बन्ध में बिबन्धित संव्यवहारो और अवभारों का सौबंर प्रमाण-पत्र दिया जाय। (राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय) समस्तीपुर

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारो और अबभारों के बारे में बही 1 में और उससे सम्बन्ध अनुक्रमणियो में ता001/01/1968 198 से ता0 24/12/2019..... 198 तक तलाश की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारो और अबभारों का पता चला है। नहीं

श्रम संख्या	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रबिष्टि के प्रति विदेश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द सं०	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	मौजा अमीरगंज धर्मपुर 17		खाता	खेसरा 1556 1558 1559 1560 1561 1562 1564 1625 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1662 1663 1665 1666		रकबा 9 एकड़ 59 डी०		

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) (1) बंधक-पत्र की दशा में, व्याज की दर और भुगतान की अबधि दर्ज करे। बर्स, कि इनके वारे में उल्लेख हो।

(2) पट्टे की दशा में पट्ठे की अबधि और वार्षिक लागत दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहार और अबभारों को छोड़ उक्त संम्पत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अबभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की और प्रमाणपत्र तैयार किया:-

(हस्ताक्षर):-

(पदनाम):-

तलाशी का सत्यापन और प्रमाणपत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की

(हस्ताक्षर):- उमेश कु. पांडेय

(पदनाम):- [illegible]

कार्यालय जिला निबंधन कार्यालय समस्तीपुर

तारीख 30/12/2019 मुहर

जिला अवर निबंधक समस्तीपुर

निबन्धन पदाधिकारी का हस्ताक्षर
30/12/2019

टिप्पणी:-(1) इस प्रमाणपत्र में जो संव्यवहार और अबभार दिखाये गये है वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये है। यदि आवेदक द्वारा दिय गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्ही इन्हे संपतियो की निबंन्धित दस्तावेजो में दिखाया गया हो, तो वैसी दस्तावेजो से प्रमाणित सव्यवहार (ट्रा-जेक्शन्स) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेगे।

(2) निबन्धन अधिनियम की धारा 48 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुत्रमण्यिों (इन्डेक्स) की विष्टिया देखना चाहते हों अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हो अथवा जिन्हे विनिदिष्ट संपत्तियों के अवभारा के प्रमाणपत्रो का जरूरत हो उन्हे तलाशी स्वयं करनी होगा। बिहत फीस का भुगतान करनो पर बाहया और अनत्रमण्यि उनके सामने रख दी जायगी।

(3) किन्तु चूँकी आवेदन मामले में आवेदक ने स्वये तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाश अपने अनुसार सावधानी से की है। फिर भी विभाग प्रमाणपत्र में दिय गये तलाशा परिणाम की किसी मूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेबार नहीं होगा।

(4) और वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वये की हे और चूंकि उसके द्वारा डढ़े गये सव्यवहोरें और अबभारो को सत्यापन विवाद प्रमाणपत्र में दिया गया है इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न हमे एसे सव्यवहारो और अबभारो की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेबार न होगा जिससे उक्त संम्पत्ति पर प्रभाव पड़ता है।

पत्रांक - 2637 दिनांक - 30/12/2019

प्रतिलिपि:- प्राचार्य शिक्षा महाविद्यालय (राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महा०) अध्यापक शाखा - समस्तीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला अवर निबंधक
समस्तीपुर